राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ. 02/07/2020/एस–1/पार्ट फा0/176 **दिनांकः 18.05.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए हैं;

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं0 40–3/2020–डीएम–I (ए) दिनांक 1 मई 2020 और जिसे आदेश संख्या 150 दिनांक 8.5.2020 द्वारा दोहराया गया है और स्पष्ट किया गया है, के अनुसरण में दिनांक 17.05.2020 की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन के विस्तार के संबंध में आदेश संख्या 130 दिनांक 03.05.2020 जारी किया है;

और जबकि इस आदेश के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों में यथा उपबन्धित के सिवाय, दिनांक 8.5.2020 के आदेश सं0 150 के साथ पठित दिल्ली आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आदेश सं0 एफ/02/07/2020/एस.1 (आदेश संख्या 121) दिनांक 25.03.2020, आदेश सं0 फा0 डीडीएमए/कोविड/2020/47 दिनांक 14.04.2020 और आदेश सं0 फा0 02/07/2020/एस–1/130 दिनांक 03.05.2020, दिनांक 18.5.2020 से स्थगित हो जाएगा ;

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं0 40–3/2020–डीएम–I (ए) दिनांक 17.05.2020 के अनुसार लॉकडाउन को 31.05.2020 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है और कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के उपायों पर अनुलग्नक I, II और III के साथ कड़ाई से अनुपालन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो 18.05.2020 से लागू होंगे ;

और जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 30.04.2020 के आदेश संख्या 28015/19/2020–ईएमआर के अनुसार दिल्ली के सभी 11 जिलों को रेड जोन में वर्गीकृत किया था, और इसलिए गृह मंत्रालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 17.05.2020 द्वारा अनुमति दी गई गतिविधियों के संबंध में कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने को उपयुक्त माना गया है।

अब, इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य कार्यकारिणी समिति, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं :–

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि को 31.05.2020 तक बढ़ाया गया है।

ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिनांक 18.05.2020 अनुमत और निषिद्ध गतिविधियाँ इस आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक –ए में निर्दिष्ट की जाएंगी ।

ग) कंटेनमेंट जोनों में, सर्वसंबंधित प्राधिकारियों द्वारा संलग्न दिशा –निर्देशों के खण्ड –4 के अनुसार कड़ाई से कार्रवाई की जानी चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

घ) दिल्ली के सभी जिला मजिस्ट्रेट और उनके समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त इन निर्देशों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करेंगे और इन निर्देशों के बारे में क्षेत्र के पदाधिकारियों को पर्याप्त रूप से सूचित और जागरूक करेंगे, ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों /स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों /स्थानीय निकायों/दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के आदेश दिनांक 17.05.2020 के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों और अनुलग्नकों I, II और III के साथ–साथ इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
4. आयुक्त (दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/पूर्वी दिल्ली नगर निगम/उत्तरी दिल्ली नगर निगम)।
5. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
7. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।
8. प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. समस्त सदस्य राज्य कार्यकारी समिति डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की ddma.delhigovt.nic.in. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।